

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 20/06/2018

संख्या-14/प्रो-102/2017- 8223 /सांप्र-बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान बैंड वेतन ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स वेतन स्तर-13) के निम्नांकित पदाधिकारियों को विभागीय परिपत्र सं-4800 दिनांक-01.04.2016 के आलोक में अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर (अपुनरीक्षित वेतनमान बैंड वेतन ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,900/- पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स वेतन स्तर-13ए) में अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रोन्नति दी जाती है:-


क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	2011 का कोटि क्रमांक	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4
1.	श्री ऋषिकेश शर्मा	467	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधुबनी । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
2.	श्री हाशिम खाँ	468	सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना ।
3.	श्री राजीव वर्मा,	471	संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्रशासन), गृह (कारा) विभाग, पटना ।
4.	श्री संजीव सिंह	474	उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
5.	श्री अजय कुमार सिन्हा	475	आयुक्त के सचिव, सारण प्रमण्डल, सारण (अतिरिक्त प्रभार-नगर आयुक्त, नगर निगम सारण)
6.	डॉ राजीव कुमार	476	संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना ।
7.	सुगंध चतुर्वेदी	478	आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमण्डल, सहरसा ।
8.	श्री मुकेश दत्त शर्मा,	481	उप निदेशक (खाद्य), पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
9.	श्री अरूण कुमार	484	अपर समाहर्ता, सारण । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
10.	श्री निरंजन कुमार झा	485	उप विकास आयुक्त, शेखपुरा । {अतिरिक्त प्रभार- अपर समाहर्ता, शेखपुरा } (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
11.	श्री रामजी साह	486	अपर समाहर्ता, किशनगंज । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
12.	श्री राम अनुग्रह नारायण सिंह	490	अपर समाहर्ता, औरंगाबाद । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
13.	श्री ओम प्रकाश पाल	496	अपर समाहर्ता, रोहतास । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
14.	श्री रामरूप प्रसाद	498	उप विकास आयुक्त, जहानाबाद । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
15.	श्री ओम प्रकाश प्रसाद	499	अपर समाहर्ता, बेगूसराय । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
16.	श्रीमती निवेदिता राय	500	उप निदेशक (प्रशासन), कृषि विभाग, बिहार, पटना । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
17.	श्रीमती नीलम चौधरी	513	अपर सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना । { अतिरिक्त प्रभार- सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना } (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
18.	श्री रंगनाथ चौधरी	514	अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर । (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)

2

19.	श्री विजय रंजन	515	संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना।
20.	श्री सतीश कुमार शर्मा	516	उप विकास आयुक्त, जमुई। [अतिरिक्त प्रभार-अपर समाहर्ता, जमुई] (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
21.	श्री अजय कुमार पाण्डेय	521	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, नवादा। (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
22.	श्री कृत्यानंद सिंह	523	आयुक्त के सचिव, पटना प्रमडल, पटना।
23.	श्री विनोदानन्द झा	524	उप निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना। (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
24.	श्री जित्त सिंह	525	उप सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना। (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
25.	श्री विमलेश कुमार झा	527	संयुक्त सचिव, गृह विभाग, पटना (अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना)
26.	श्री मो० जफर रकीब	528	अपर समाहर्ता, कटिहार। (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)
27.	श्री ऋषिदेव झा	529	अपर समाहर्ता (लोक शिकायत निवारण)-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम। (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित)

- यह प्रोन्नति औपबधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
- उपर्युक्त सभी पदाधिकारियों द्वारा धारित पद को उनके पदस्थापन अवधि तक के लिये अपर सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुये उन्हें उसी पद पर पदस्थापित किया जाता है।
- उपर्युक्त नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


20.6.18

(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-14/प्र०-102/17- 8223 /सा०प्र० पटना-15, दिनांक- 20/06/2018
प्रतिलिपि :-प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/ उप मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित कोषांगार पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


20.6.18

(राम विशुन राय)

सरकार के अवर सचिव।